न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/11/2018

बीना देवी उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं0 14 तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी,भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश 51/2016 जिला रसद अधिकारी, भरतपुर दिनांक 07–05–2018

उपस्थित :–
श्री विमल सिंह अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय **दिनांक 28.05.2019**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 07–05–2018 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषाक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्व है। उनका कहना है कि तहत न्यायालय अपने आदेश में किसी भी प्रकार से कोई आरोप अपीलान्ट सिद्व नहीं किये हैं और ना हीं अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार से किसी भी आरोप को सिद्व मानने के लिये कोई विवेचन किया गया है। अपीलान्ट का लाईसेंस तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2018 को निलम्बित किया गया था जिसमें अपीलांट पर कोई आरोप आरोपित नहीं किये गये हैं। तहत न्यायालय ने किसी भी तथ्य एवं साक्ष्य की विवेचना नहीं की है कि अपीलांट को किस प्रकार दोषी माना गया है। अपीलांट के पास मौके पर 200 लीटर कैरोसीन मौजूद था जो जिला कलक्टर रसद भरतपुर के आदेश दिनांक 2.06.2016 की पालना में आरक्षित रखा गया था।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अगर अपीलांट द्वारा कैरोसीन का विक्रय किया गया होता तो उक्त मात्रा 200 लीटर से कम होनी चाहिए थी। अपीलांट के पास रसद विभाग द्वारा दो दुकानों का नक्शा पास है। कैरोसीन को सुरक्षा की दृष्टि से दूसरी दुकान जो कि सडक के उस पार है शिफ्ट किया जा रहा था। प्रथम दुकान में खाद्य का पदार्थ रखा हुआ था। अपीलांट द्वारा कोई दुभार्वना या कालाबाजारी का उद्देश्य नहीं था। अपीलांट द्वारा दिनांक 05.12.2016 को तहत न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया। अपीलांट एक विधवा व कम पढी लिखी महिला जो कि कभी किसी प्रकार कालाबाजारी एवं गबन आरोपित नहीं रही है। लाईसेंस को निरस्त करना विधि एवं नैचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इस कार्यवाही से अपीलांट को रोजगार चला गया है व भरण पोषण में दिक्कत आ रही है। तहत न्यायालय ने मात्र प्रस्तुत प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर दोषी करार देना कानून गलत है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

पैरोकार रसद ने जाहिर किया कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच शिकायत पर की गई जांच में दिनांक 19.06.2016 को पुलिस थाना अटलबंद से प्रापत सूचना के आधार पर उचित मूल्य दुाकनदार श्री मति बीना देवी वार्ड नं0 14 राधाकिशन मन्दिर पर प्रवर्तन निरीक्षक दुकान पर पहुंचे। मौके पर पूछताछ करने पर एकत्रित भीड ने बताया कि डीलर का पुत्र हिमांशु जैन वितरण कार्य करता है। हिमांशु जैन कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा बीना देवी की ओर से कार्य करने को अधिकृत है। हिमांशु जैन डीलर उपभोक्ताओं को कैरोसीन का वितरण नहीं कर अवैध रूप से लोहे के ड्रम में टैक्टर की सहायता से बेच रहा था। टैक्टर में 200 लीटर कैरोसीन मय ड्रम माके पर डीलर द्वारा महेश कुमार को बेचा जाते हुए पकडा गया। महेश कुमार ने 200 लीटर केरोसीन 4000 रूपये में खरीदना स्वीकार किया। जिसकी एफआईआर अटलबंध थाने में दर्ज की गई। बताया कि राशनकार्डों में तेल का वितरण नहीं किया गया था। जो शिकायत के तथ्यों की पुष्टि करता है। न्यायालय ने उचित आदेश पारित किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश विधिवत पारित किया गया है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28–5–2019 को सुनाया गया ।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official